(30)

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–17.09.2018 को प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– सूची संलग्न।

उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

2– **मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाः–**

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के अन्तर्गत 13 आवेदन लम्बित है। मुंगेर, भागलपुर, अरवल, गया, प0 चम्पारण का प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित 63वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। विहित प्रपत्र में तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

3– **छात्रवृति योजना**

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना

बताया गया की आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष–2017–18 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा है। साथ ही यह भी बताया गया कि वर्ष–2017–18 में विभागीय संकल्प संख्या–3098 दिनांक 20.12.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजना का कार्यान्वयन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जायेगा तथा वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति दी जायेगी एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से किया जाएगा। छात्रवृति का वितरण विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 एवं संकल्प सं0–798 दिनांक–25.03.2017 द्वारा निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से किया जाएगा।

निदेश दिया गया कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भुगतान से सम्बन्धित लम्बित मामलों का शत प्रतिशत निष्पादन किया जाय तथा वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना है। अतः प्रस्ताव अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना

निम्नलिखित निदेश दिया गयाः–

(i) विभागीय संकल्प संख्या–3098 दिनांक 20.12.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 से विद्यालय छात्रवृति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(29)

मेधावृति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जायेगा। सभी प्रकार की छात्रवृति की राशि DBTके माध्यम से सीधे लाभूको के बैंक खाता में हस्तांतरित की जायगी।

(ii) प्री–मैट्रिक में जितने छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति 75% एवं उससे ज्यादा हो, उसें पूर्व निर्धारित दर पर छात्रवृति छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति एवं वित्त विभाग के परिपत्र के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाए तथा विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से लाभान्वित होनेवाले सभी छात्र/छात्राओं का बैंक खाता संख्या तथा आधार संख्या(AadhaarNumber) विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि छात्रवृति हेतु व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर छात्रवार विवरणी संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति से प्राप्त कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए।

(4) <u>आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन, सामग्री क्रय एवं निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा</u>

(i) <u>आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन</u>

अवगत कराया गया कि विभागीय पत्रांक–1577 दिनांक–20.06.17 द्वारा आवासीय विद्यालयों एवं विभागीय पत्रांक–1586 दिनांक–20.06.17 द्वारा छात्रावास के निरीक्षण हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निरीक्षण करते हुए विहित प्रपत्र में निरीक्षण टिप्पणी ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं यह भी निदेश दिया गया कि निरीक्षण के क्रम में पायी गयी कमियों को जिला स्तर से समाधान करने की कार्रवाई की जाय, साथ ही मरम्मति, पेयजल एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक राशि की माँग सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के साथ की जाय। विगत माह में आवासीय विद्यालयों के लिए विभाग के द्वारा गठित जॉच दल के निरीक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कम पायी गई है। सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण कर छात्र/छात्राओं की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में दैनिक आवश्यकताओं, पेपर, मैगजीन, खेलकूद सामग्री एवं स्वच्छ जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।

निदेश दिया गया कि छात्रावास/ आवासीय विद्यालयों के लिये आवंटित राशि का समुचित उपयोग किया जाय।

(ii) <u>आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के लिए सामग्री क्रय</u>

सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के आवश्यकतानुसार सामग्रियों का क्रय के लिए जिला स्तर पर निविदा का प्रकाशन एवं जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक आयोजित कर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सामग्री एवं पूर्ति मद के लिए आवंटित राशि व्यय की जाए।

(iii)<u>आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा</u>

आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए :–

(i) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि ससमय प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सके।

(ii) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की पूर्ण योजनाओं को हस्तांतरित करने के पूर्व संयुक्त रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभिंयता के साथ निरीक्षण कर लिया जाए एवं निर्माण की योजनाओं में कमियों या आवश्यक संशोधन का सुझाव प्राप्त कर लिया जाए।

(iii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं के साथ–साथ शौचालय–सह–बाथरूम, रनिंग वाटर आपूर्ति, विद्युतीकरण, नियमित रंग–रोगन एवं चाहरदिवारी इत्यादि का सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन निश्चित रूप से भवन निर्माण विभाग के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(5) <u>अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989</u>

(i) <u>जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति</u>

"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति"की बैठक नियमित किया जाए। विभागीय पत्रांक–240 दिनांक–01.02.2018 के द्वारा समिति की नियमित बैठक के लिए वर्ष 2018 के लिए त्रैमासिक रोस्टर निम्नांकित रूप से निर्धारित किया गया है:–

प्रत्येक तीन माह पर बैठक की अवधि :–

जनवरी – मार्च	15 फरवरी से 28 फरवरी, 2018 के बीच
अप्रैल – जून	15 मई से 31 मई, 2018 के बीच
जुलाई – सितम्बर	16 अगस्त से 30 अगस्त, 2018 के बीच
अक्टूबर– दिसम्बर	15 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2018 के बीच

बताया गया कि नियम, 17 के अनुसार वर्ष में कम से कम चार बैठक का आयोजन किया जाना है। योजना के महत्व को देखते हुए जिला कल्याण पदाधिकारियों के द्वारा चार से अधिक बैठक का आयोजन करना चाहिये।

जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा बताया गया कि तीसरी बैठक का आयोजन किया जा चुका है तथा राशि की आवश्यकता है।

निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि राशि की अधियाचना के साथ पूर्व में स्वीकृत/आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, संशोधन अधिनियम, 2015, नियम, 1995 एवं संशोधन नियम–2016 के लाभान्वितों को राहत (Relief) इत्यादि की राशि RTGS/NEFTके माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराया जाए।

बिहार महादलित विकास मिशनः–

मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि सभी जिलों से सामुदायिक भवन निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना है। तथा नये सामुदायिक भवन निर्माण हेतु भूमि प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

निदेश दिया गया कि पंचायतवार/टोलावार भूमि चयन करें तथा सरकारी भूमि को चिन्हित किया जाय। सामुदायिक भवन का निर्माण महादलित टोलो के निकट में किया जाय, इसके लिये भूमि महादलित टोले के निकट होना चाहिये। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि भेजे गये भूमि प्रस्ताव के साथ फोटोग्राफ को संलग्न किया जाय।

(6) PVTGs

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 9 एवं 9 सामुदायिक भवनों का निर्माण आदिम जनजातीय क्षेत्रों में किया जाना था। लक्ष्य के विरूद्ध मात्र भागलपुर से भूमि संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अन्य जिलों यथाः पूर्णियॉ, किशनगंज, सुपौल, बांका, मधेपुरा से भूमि संबंधी प्रस्ताव अप्राप्त है। जिससे राशि की स्वीकृति देने में कठिनाई हो रही है। मधेपुरा में अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है, जिसके संबंध में भूमि संबंधी प्रस्ताव वांछित है। निदेश दिया गया कि सामुदायिक भवन एवं विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि संबंधी प्रस्ताव अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(7) SCA to TSP/Article 275(1)

अनु0 जनजाति उपयोजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान की धारा 275 (1) के तहत् जिलों को राशि आवंटित की गई है। राशि के व्यय हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमिटि गठित है। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का पहल नहीं किया जा रहा है। कटिहार जिला द्वारा

विभिन्न विभागों के माध्यम से आवंटित राशि के व्यय हेतु पूर्व में बैठक की गई है, परन्तु राशि के व्यय संबंधी सूचना अप्राप्त है।

इस संबंध में संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने जिले में उक्त योजना के तहत् बिना व्यय के पड़ी हुई राशि का आकलन करते हुए व्यय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा इस संबंध में निर्धारित अगली बैठक में परिणाम के साथ उपस्थित रहेंगें।

(8) AC/DC

संयुक्त सचिव द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं AC/DC विपत्र के संबंध में समीक्षा की गई। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिन जिलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा AC/DC विपत्र की राशि समायोजन हेतु लंबित है, उसे विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–8 / डी0(रोस्टर)मासिक बैठक–35–22 / 2018 2394 पटना, दिनांक– 03·10·18

प्रतिलिपिः–निदेशक / संयुक्त सचिव / अपर सचिव / उप निदेशक, मुख्यालय / सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8 / डी0(रोस्टर)मासिक बैठक–35–22 / 2018 2394 पटना, दिनांक–03·10·18

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8 / डी0(रोस्टर)मासिक बैठक–35–22 / 2018 2394 पटना, दिनांक–03·10·18

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ, प्रेषित।

सरकार के सचिव।